



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935

No. 205]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय

(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

अधिसूचना

अहमदाबाद, 28 मई, 2013

सं. यू/16/53/2003/मेड-III/गुज. 37/जी/पी.टी.एम. आर/एस.एम.सी/डी.एम. खालसा/07.—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन की शक्तियाँ महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पी.टी. फाइल यू/13/12/13/2005-पीटीएमआर (मैडी-1) दिनांक 4-8-2008 द्वारा ये शक्तियाँ आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संधि होने पर उन्हें आगे प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. डी.एम. खालसा	3-5-2013	वडोदरा/गुजरात
पी.टी.एम.आर.	से 2-5-2014	

डॉ. एच.पी. सिंह, राज्य चिकित्सा आयुक्त

[विज्ञापन III/4/असा./01/13]

OFFICE OF THE STATE MEDICAL COMMISSIONER

(Employees, State Insurance Corporation)

NOTIFICATION

Ahmedabad, the 28th May, 2013

No. U-16/53/2003/Med.II/(Guj)37/G/PTMR/SMC/D.M. Khalsa/07.—In Pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on file No. Pt. file-U/13/12/13/2005- PTMR- (Med I.) dated 4-8-2008. I hereby authorise the following doctors to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. The date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre/ Place/Dist/State
Dr. Darshansingh M. Khalsa	3-5-2013 to 2-5-2014	Baroda, Gujarat

DR. H. P. SINGH, State Medical Commissioner

[ADVT. III/4/Ext.y./01/13]